कार्यालय प्राचार्य,राजकीय विधि महाविद्यालय,कोटा

टैगोर नगर, रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान) – 324010

Ph. No. - 0744- 2473545 E-mail :- glckotaraj@gmail.com

क्रमांक : 1770 दिनांक : 12/11/24

प्रवेश लेने हेतु सामान्य निर्देश

फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–

1. 10वीं कक्षा की अंकतालिका/प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि
2. 12वीं कक्षा की अंकतालिका/प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि
3. अर्हकारी परीक्षा एवं अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की सभी वर्षों की अंकतालिकाएँ
4. एलएल.बी. में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत (डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर एवं बीसीआई, नई दिल्ली के निर्देशानुसार)

   GENERAL/EWS - 45%
   OBC/MBC - 42%
   SC/ST - 40%
5. आरक्षित वर्ग (OBC/MBC/SC/ST/EWS Certificate) के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश हेतु उपखण्ड अधिकारी/एस.डी.ओ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। (रसीद मान्य नहीं होगी।)
6. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सक्षम स्तर द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
7. अन्तराल (GAP Certificate) शपथ–पत्र (यदि अंकतालिकाओं में अन्तराल हो)।
8. आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति।

नोट :– OBC/MBC/EWS वर्ग का Certificate एक वर्ष तक का मान्य है, यदि एक वर्ष से अधिक पुराना हो तो Certificate के साथ परिशिष्ट–ड़ (शपथ–पत्र) प्रारूप को भरकर नोटेरी द्वारा सत्यापित करवाने पर Certificate अधिकतम तीन वर्ष तक मान्य होगा। (प्रत्येक एक वर्ष के बाद नवीन सत्यापन करवाया जाए।)

- टी.सी./सी.सी. एवं समस्त मूल दस्तावेज अस्थायी प्रवेश सूची जारी होने के बाद ही फीस जमा करवाते समय लाना अनिवार्य है। (फार्म के साथ संलग्न न करें।)
- जिन विद्यार्थियों की मूल अंकतालिका विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं हुई है, वह विद्यार्थी अपनी इन्टरनेट की अंकतालिका को संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा सत्यापित करवाकर उसकी मूल प्रति आवेदन फार्म के साथ संलग्न करें।
- अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में इस महाविद्यालय में विधि पाठ्यकम में प्रवेश नहीं लिया है और महाविद्यालय के संज्ञान में यह शपथ–पत्र दिए जाने के बावजूद इस बाबत् कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति कम होने की स्थिति में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने एवं परीक्षा से वंचित करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- विद्यार्थी का अंतिम रूप से प्रवेश होने पर इस आशय का शपथ–पत्र देगा कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।
- विद्यार्थी का अंतिम रूप से प्रवेश होने पर इस आशय का शपथ–पत्र देगा कि विद्यार्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर–सरकारी संस्था/अधिकरण में कार्यरत नहीं है।

–: फॉर्म जमा करवाने का समय :–

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक

12.11.24

प्रवेश प्रभारी

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा